न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 22 / 2025(जी.सी.एम.एस.2022 / 389)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. करनैल सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरवीर सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–12.08.2025

उपस्थित:1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय––　　दिनांक : 24.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 16, 17 की कुल 5.503 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम 0.291 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी के नाम 1.215 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 आधा उतरी दिशा व शेष भूमि किला नम्बर 20 में है तथा अप्रार्थी के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 आधा दक्षिणी हिस्सा है। प्रार्थी को चक 22 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 के रकबा को काश्त करने के लिए 25 एफ गुलाबेवाला से भारतमाला रोड से होते हुए मुरब्बा नम्बर 61, 60, 42, 41, 22 में से होते हुए, मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त कर रहा है। प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि में आने-जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 की उतरी हिस्सा की भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा में पश्चिमी बट के साथ-साथ 16-1/2 फीट चौडा रास्ता मंजूर करवाये जाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा तो अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ. नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा में पश्चिमी बट के साथ 16-1/2 गुणा 82-1/2 वर्गफीट भूमि में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में स्वय उपस्थित आकर आदेशिका पर अंकित किया कि यदि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा रास्ता की भूमि के बदले भूमि प्राप्त कर ली है।
3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/467 दिनांक 26.08.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर व पटवारी हलका फूसेवाला द्वारा चक 22 एफ के मुरब्बा नम्बर 61, 60, 42, 41, 22, 17 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के उतरी हिस्सा तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा की पश्चिमी बट के साथ 16-1/2 गुणा 82-1/2 वर्गफीट भूमि में से रास्ते की मांग की गई है।
4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन

करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 10/10 के मुरब्बा नम्बर 16, 17 की कुल 5.503 हैक्टेयर भूमि में से 0.291 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा की पश्चिमी बट के साथ-साथ अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 उतरी हिस्सा तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा की पश्चिमी बट के साथ-साथ 16-1/2 गुणा 82-1/2 वर्गफीट भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थी को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा में पश्चिमी बट के साथ 16-1/2 गुणा 82-1/2 वर्गफीट भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2025/727 **दिनांक :– 24.09.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 22/2025 अनवान करनैल सिंह बनाम गुरवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 24.09.2025 के संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी हिस्सा में पश्चिमी बट के साथ 16–1/2 गुणा 82–1/2 वर्गफीट भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)